न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 18/2023 (उदयपुर डिक्री)

श्रीमती नोजी पत्नी वरदीचन्द जी प्रजापत, निवासी पदराडा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. नानालाल पिता भूरा जी प्रजापत, निवासी वाटों का गुडा, पदराडा, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा – 223 राजस्थान काश्त. अधि. – 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, गोगुन्दा दि0 12.05.2022, प्रकरण संख्या 63/2021

–––/–––

उपस्थित :– 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री कुलदीप शर्मा अभिभाषक रे. सं. 1

–––::–––

निर्णय दिनांक 12–03–2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य के कब्जे की आराजी नंबर 2329 रकबा 0.0600 हैक्टर भूमि ग्राम विसमा में स्थित है। उक्त आराजी में वादी ने 1/4 हिस्सा दिनांक 14–02–2011 को श्रीमती गंगाबाई पत्नी किशनलाल प्रजापत से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। श्रीमती गंगाबाई ने भैरूसिंह के उसका 1/4 हिस्सा दिनांक 22–02–2003 को क्रय किया था व वरदीचन्द ने उक्त आराजी के पड़ोस बताकर 1/4 हिस्से की रजिस्ट्री करवा दी थी, किन्तु अब पता चला कि उक्त 1/4 हिस्सा वादी के नाम अंकित नहीं होकर प्रतिवादी संख्या 1 के पति वरदीचन्द के नाम अंकित है। वरदीचन्द की मृत्यु हो चुकी है, जिसके विधिक वारिस उसकी पत्नी प्रतिवादी संख्या 1 है, जिसे वाद में पक्षकार बनाया है। प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] क्रय की गयी कब्जे काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 16:01:38 IST
Reason: SelfAttested

की भूमि हड़पना चाहती है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वाद वर्णित आराजी में वादी द्वारा क्रय किये गये 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12–05–2022 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री कुलदीप शर्मा उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि रेस्पोन्डेन्ट नानालाल को विवादित भूमि बाबत् वाद लाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि न तो उनके द्वारा भूमि कभी क्रय की गयी है, न ही उनका कब्जा है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने एकपक्षीय डिक्री जारी की है। वरदीचन्द से भैरूसिंह ने जो भूमि क्रय की है वह आबादी भूमि कुम्हारों का मोहल्ला में स्थित है तथा उस पर मकान बना हुआ है, जिसका विक्रय किया गया है, जबकि वादी कृषि भूमि क्रय करना बताता है। वादी ने अपने वाद को न तो दस्तावेजी साक्ष्यों से एवं न ही मौखिक साक्ष्यों से साबित कराया है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वाद डिक्री कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे तथा विवादित भूमि पूर्ववत अपीलान्ट के नाम रखे जाने का आदेश फरमाया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार निर्णय पारित किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 16:01:38 IST
Reason: SelfAttested

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अध्ययन किया। वादी ने अपने वाद की कलम संख्या 1 में विवादित आराजी नंबर 2329 में से 1/4 हिस्सा दिनांक 14–02–2011 को श्रीमती गंगाबाई पत्नी किशनलाल प्रजापत से क्रय कर बताया है, उसमें आराजी नंबर अंकित नहीं होकर उसमें अंकित पड़ोसों के मध्य स्थित मकान का विक्रय किया जाना प्रकट होता है। इसी प्रकार श्रीमती गंगाबाई द्वारा भैरूसिंह से दिनांक 17–11–2005 को जो भूमि क्रय की है, उसमें भी आराजी अंकित नहीं होकर मकान का ही विक्रय किया जाना अंकित है तथा अपीलान्ट के पति वरदीचन्द द्वारा दिनांक 22–02–2003 को भैरूसिंह के पक्ष में जो विक्रय किया गया है, उसमें भी मकान विक्रय किये जाने का अंकन है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट/वादी का वाद डिक्री कर उसे विवादित आराजी के 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित कर दिया, जबकि इस बाबत् पत्रावली पर कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा प्रकरण में हम यह भी पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनकर तथा वादी की साक्ष्यों के आधार पर उक्त निर्णय पारित किया है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट/प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान नहीं हुआ है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 12–05–2022 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादी को सुनवाई व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 05–05–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 12–03–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 16:01:38 IST
Reason: SelfAttested